संख्या:38/2020/770 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित आबकारी नीति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की मदिरा के अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क अधिरोपित करते हुए अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी-278/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 05.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है अपके उक्त पत्र दिनांक 05.05.2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कोविड-19 की रोक-थाम हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु राजकोष के अतिरिक्त वित्त पोषण के परिप्रेक्ष्य में यह प्रस्तावित किया गया है कि आबकारी नीति वर्ष 2020-21 द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल.ए.बी./समुद्रपार आयातित मदिरा की बोतलों के निर्धारित किये जाने वाले अधिकतम फुटकर मूल्य के ऊपर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क निम्नांकित तालिकाओं के अनुसार अधिरोपित करते हुये तदनुसार अधिकतम फुटकर मूल्य का पुनः निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

देशी मदिरा

क्र.सं.	देशी मदिरा की तीव्रता	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य(रुपये में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	पुनर्निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य(रुपये में) (3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	36 प्रतिशत वी/वी	65/-	5/-	70/-
2	42.8 प्रतिशत वी/वी	75/-	5/-	80/-

विदेशी मदिरा

क्र. सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	पुनर्निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य(रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इकोनामी	180 एम.एल. तक	10/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	20/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	30/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
2	मीडियम	180 एम.एल. तक	10/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	20/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	30/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
3	रेगुलर	180 एम.एल. तक	20/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		180 एम.एल. से 500 एम0एल0 तक	30/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	50/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				फुटकर मूल्य+ कालम(4)
4	प्रीमियम	180 एम.एल. तक	20/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	30/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	50/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
5	सुपर प्रीमियम	180 एम.एल. तक	30/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	50/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	100/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
6	स्काच	180 एम.एल. तक	50/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	100/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	150/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
7	समुद्रपार आयातित	180 एम.एल. तक	100/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		180 एम.एल. से 500 एम.एल. तक	200/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	400/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)

<u>बीयर</u>

क्र. सं.	बीयर की श्रेणी	बोतलों/केनों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	पुनर्निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य(रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	स्ट्रांग/लैगर	500 एम.एल. तक	10/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	20/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		10 लीटर केग	200/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		20 लीटर केग	400/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		20 लीटर से अधिक केग	600/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
2	समुद्र पार आयातित	500 एम.एल. तक	20/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		500 एम.एल. से अधिक	30/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		10 लीटर केग	250/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		20 लीटर केग	500/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
		20 लीटर से अधिक केग	750/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)

<u>वाइन/एल.ए.बी.</u>

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	पुनर्निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य(रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

http://shasanadesh.up.gov.in

1	वाइन	समस्त धारितायें	100/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)
2	एल.ए.बी.	समस्त धारितायें	20/-	आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य+ कालम(4)

3. उपरोक्त तालिकाओं में अंकित धारिताओं की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बोतलों पर प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की वसूली, संबंधित बाण्ड अनुज्ञापनों, आसवनियों, यवासवनियों एवं एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों से होने वाली निकासियों पर तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ की जाएगी। विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की धनराशि, प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के साथ ली जायेगी तथा इसे प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क से संबंधित कोषागार शीर्षक में ही जमा किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।